2004;**CGHC**;2139

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं.141/2004

अपीलकर्तागण/ प्रतिवादीगण

1. गंभीर, उम्र लगभग 75 वर्ष,

आंत्मज संपत साहू

2. अमनलाल, उम्र लगभग 45 वर्ष,

आंत्मज गंभीर साहू

दोनों निवासी ग्राम कोपरा, तहसील राजिम, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण

1. ओंकार सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, आंत्मज गजानंद सिंह, निवासी ग्राम कोपरा, तहसील राजिम, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

धारा 100 सी.पी.सी. के तहत द्वितीय **अपील का ज्ञापन**

2004;**CGHC**;2139

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं.141/2004

गंभीर और अन्य

बनाम

ओंकार सिंह और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

सूचीबद्ध करने हेतु दिनांक : 13.12.2004

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश
10.12.2004

2004;**CGHC**;2139

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं.141/2004

गंभीर और अन्य

बनाम

ओंकार सिंह और अन्य

श्री हरि शंकर पटेल, अपीलकर्तागण के अधिवक्ता

न्यायाधीश, सुनील कुमार सिन्हा के अनुसार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 13.12.2004)

ग्राहयता के प्रश्न पर सुना गया

2. यह अपील प्रतिवादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत जिला न्यायाधीश रायपुर द्वारा सिविल अपील क्रमांक 2-ए/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.1.2004 के विरुद्ध दायर की गई है, जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गरियाबंद जिला रायपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 69-ए/98 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.1.2002 से उद्भभूत है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मूल वादी अर्थात् श्रीमती चूड़ीमणिदेवी, स्वर्गीय श्री लूम सिंह खेतड़ी की विधवा ने शुरू में ग्राम कोपरा पी.सी. क्रमांक 15, तहसील राजिम, जिला रायपुर में स्थित खसरा क्रमांक 2060/1 और 2061/4 क्षेत्रफल 3 दशमलव (0.012 हेक्टेयर) वाली वादी भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा और नुकसानी के लिए

वाद दायर किया था। वाद में आरोप यह है कि वादी की भूमि केवल वादी के स्वामित्व और कब्जे की संपत्ति थी। वाद के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्याही के निशान से इसे और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वाद के हेतुक की तिथि पर प्रतिवादियों ने जबरदस्ती वादी की भूमि में प्रवेश किया और कुछ निर्माण करना शुरू कर दिया। प्रतिरोध करने पर, जब निर्माण नहीं रोका गया तो वादी द्वारा तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही दायर की गई और तहसीलदार द्वारा दिनांक 1.3.1993 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें प्रतिवादियों को कोई भी निर्माण करने से रोक दिया गया। जब प्रतिवादी ने काम बंद नहीं किया, तभी वादी उक्त अनुतोष के लिए व्यवहार वाद दायर करने के लिए बाध्य हुआ ।

4. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वादी के तर्कों का खंडन करते हुए अपना लिखित बयान दायर किया। उनके द्वारा यह तर्क दी गई कि वास्तव में उन्होंने खसरा संख्या 2059, 2060 और 2061 को वादी से दिनांक 26.7.1965 को 2,825/- रुपये के प्रतिफलकर खरीदा था। वे दिनांक 26.7.1965 से उक्त संपत्ति पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, इसलिए किसी भी अवैध कब्जे का सवाल ही नहीं उठता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दी कि चूँकि वे बहुत लंबे समय से, अर्थात् दिनांक 26.7.1965 से, लगातार कब्जे में हैं, इसलिए उन्होंने प्रतिकूल कब्जा स्थिति के माध्यम से अपना स्वामित्व भी पूर्ण कर लिया है।

6. वाद के लंबित रहने के दौरान वादी ने कब्जे के लिए दायर याचिका में संशोधन किया और दलील दी कि प्रतिवादियों ने वादग्रस्त संपत्ति पर जबरदस्ती निर्माण कर लिया है और अधिरचना को हटाकर उसे खाली कब्जा दिया जाना आवश्यक है।

7. मूल वादी अर्थात् श्रीमती चूड़ीमणिदेवी की मृत्यु दिनांक 16-12.1994 को वाद की लंबित के दौरान हो गई थी और उनके विधिक प्रतिनिधि अर्थात् ओंकार सिंह को वसीयत के आधार पर विचरण न्यायालय के 9.8.1995 के आदेश द्वारा अभिलेख पर प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि, उक्त वसीयत की वास्तविकता के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था और विद्वान

विच **T** रण न्यायाधीश ने इस आधार पर प्रतिस्थापन के लिए निर्देश दिया था कि वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज है और आवेदक के अलावा किसी ने भी वादी का उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं किया है। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि वसीयत की वैधता का प्रश्न अवसर आने पर उसके गुण दोष के आधार पर निर्णित किया जा सकता है।

8. इन सबके बाद भी, प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में वसीयत की वास्तविकता के बारे में कोई तर्क नहीं दी और इस संबंध में कोई विशेष विवाधक विरचित नहीं किया गया।

9. विद्वान विच **T** रण न्यायाधीश ने बहुत सारे विवाधक विरचित तय किए और लगभग सभी विवाधक वादी के पक्ष में निर्णित किए गए। यह माना गया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वाद भूमि पर अतिक्रमण किया है और वाद भूमि उनके द्वारा मूल वादी से दिनांक 26.7.1965 के विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति का अभिन्न अंग नहीं है। यह भी माना गया कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपना स्वामित्व पूर्ण नहीं किया है। हालाँकि विद्वान विच **T** रण न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 32 के में माना कि वसीयत के बल पर वाद में मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में किसी को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यह भी माना गया कि वादी की मृत्यु की तिथि पर वाद का उपशमन हो गया था । यह भी माना गया कि वास्तव में गलती से न्यायालय ने दिनांक 9.8.1995 को वसीयत के आधार पर प्रतिस्थापन के लिए आदेश पारित कर दिया था और इस कारण केवल वाद खारिज होने योग्य था और इसे अंततः यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रतिस्थापित वादी अर्थात् ओंकार सिंह न तो वाद भूमि का मालिक था और न ही मूल वादी का उत्तराधिकारी था, इसलिए उसके पक्ष में कब्ज़ा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री पारित नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विच **T** रण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ, प्रतिस्थापित वादी नाम ओंकार सिंह ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और उक्त न्यायालय ने उनकी अपील की अनुमति दी और विच **T** रण न्यायालय के फैसले और

डिक्री को रद्द कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह माना कि चूंकि दिनांक 9.8.1995 के आदेश के अनुसार, वादी का वैध प्रतिस्थापन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के तहत वसीयत के आधार पर हुआ था और बाद में वसीयत को प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान में तर्क देकर चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए इस संबंध में कोई विवाधक तैयार किए बिना और पक्षक **T** रो को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना भी यह प्रश्न अधीनस्थ अदालत के समक्ष विचार के लिए खुला नहीं था। इस संबंध में निष्कर्ष अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया और अंततः यह माना गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मूल वादी की मृत्यु पर उपशमनित नहीं हुआ है और एक वैध प्रतिस्थापन हुआ था और उक्त प्रतिस्थापन के बाद, प्रतिस्थापन वादी वाद में दावा की गई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार था।

11. अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों ने अतिक्रमण और प्रतिकूल कब्जे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए प्रतिकूल निष्कर्ष के खिलाफ कोई प्रति अपील दायर नहीं की थी और अंततः अतिक्रमण और प्रतिकूल कब्जे से संबंधित विवाधको के खिलाफ दर्ज किया गया निष्कर्ष अंतिम हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. द्वितीय अपील में अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दी कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान कर विधिक त्रुटि की है कि प्रतिवादियों ने वाद भूमि के किसी भाग पर अतिक्रमण किया है और कब्जे का आदेश वादी के पक्ष में गलत तरीके से पारित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वत्व प्राप्त किया है क्योंकि वे वाद भूमि पर वर्ष 1965 से काबिज हैं।

13. मैंने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है। यह मामले की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाधक संख्या 1,2,3 और 4 के तहत दर्ज निष्कर्षों के खिलाफ, जो अतिक्रमण के साथ-साथ प्रतिकूल कब्जे के संबंध में हैं, प्रतिवादियों द्वारा कोई अपील पेश नहीं की

2004;**CGHC**;2139

गई। अब प्रतिवादी अतिक्रमण के साथ-साथ प्रतिकूल कब्जे के निष्कर्षों में विकृति की दलील उठाकर दूसरी अपील में एक मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

14. मैंने साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है और दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अध्ययन किया है। वास्तव में, विचTरण न्यायालय के फैसले के पैरा 19 की अंतिम पंक्ति से पता चलता है कि अतिक्रमण का तथ्य कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किया गया था जिसमें यह माना गया था कि प्रतिवादियों ने वादी से संबंधित 0.012 हेक्टेयर भूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण किया है। इतना ही नहीं, प्रतिकूल कब्जे के तथ्य को भी ठीक से निर्णित किया गया है और एक सही निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने स्वामित्व को पूर्ण नहीं किया है। मुझे विचTरण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों में कोई भी दोष नहीं दिखती है जिसके खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी, इसलिए, उक्त निष्कर्ष बाध्यकारी हैं और इस न्यायालय द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह एक महत्वपूर्ण विचार है कि अब यह न्यायालय द्वितीय अपील में मामले पर विचार कर रहा है जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत द्वितीय अपील पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल दो ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिनमें विधि का सTरवTन प्रश्न शामिल है और यह उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय तथ्य के शुद्ध प्रश्नों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं देता है (कृपया देखें **रूप सिंह (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम राम सिंह (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि (2000)2 एससीसी 708** में प्रकाशित किया गया)। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विधि का सTरवTन प्रश्न का अस्तित्व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अनिवार्य शर्त है और जब तक ऐसा प्रश्न शामिल नहीं होता है, अपीलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए (कृपया **त्यागराजन और अन्य**

2004;**CGHC**;2139

बनाम श्री वेणुगोपालस्वामी बी. कोविल और अन्य (2004) 5 एससीसी 762 में प्रकाशित निर्णय देखे)।

16. मामले के तथ्य और परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय की राय में इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधि का सTरवTन प्रश्न सम्मिलित नहीं था जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, इसलिए अपील असफल हो जाती है और उसे ग्राहयता स्तर पर ही असफल किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

13.12.2004

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह है किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। **समस्त कार्यालीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।**

Translated By…….. Akanksha Singh, Advocate